न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH. 01420 228187
E-Mail: sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :-69/2021
प्रकरण निर्णय दिनांकः-27.07.2023

उनवान- 1. गौरीशंकर आयु 70 वर्ष पुत्र स्व. श्री हरीवल्लभ शर्मा
2. जितेन्द्र कुमार शर्मा आयु 36 वर्ष पुत्र श्री गौरीशंकर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गुढाकटला तहसील बसवा जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा

दावा बाबत- घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं.-69/2021 सन्-2021

निर्णय दिनांक 27.07.2023

वादीगण द्वारा वाद दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया कि ग्राम टाटया थैलावास पटवार हल्का मादरवाडा गूजरान तहसील बसवा में वादी गौरीशंकर के पिता हरीवल्लभ शर्मा को वर्ष 1960 में साबिका खसरा नंबर 10/1 में से भूमि का आवंटन हुआ है। वादी गौरीशंकर के पिता को आवंटित हुयी भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा कब्जा सम्भलाया गया। पटवारी हल्का द्वारा कब्जा सम्भलाने के समय से ही वादीगण व वादी गौरीशंकर के पिता द्वारा उक्त आवंटित शुदा भूमि जो पथरीली, उबड खाबड नले, नाकले वाली बंजड बनी भूमि थी उसके कई वर्षों तक काफी मेहनत व लागत लगाकर कृषि योग्य व उपजाउ भूमि बनायी है तथा उक्त भूमि के चारों ओर कच्ची डोल बनाकर मेडबन्दी कर रखी है। उक्त आवंटित शुदा भूमि साबिका खसरा नंबर 10/1 ग्राम टाटया थैलावास के सैटलमेन्ट के बाद खसरा नंबर 30, 31, 32, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 65, 66, 75 कायम हुये है। वादी गौरीशंकर के पिता हरिवल्लभ की मृत्यु उपरान्त से ही वादीगण उक्त भूमि पर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। भूमि प्रबन्धक विभाग द्वारा दौराने भू प्रबन्ध कार्यवाही खसरा नंबर 32 रकबा 0.53 हैक्ट. कायम किया था जो कि सैटलमेन्ट द्वारा जारी पर्चा व नक्शा भू अभिलेख अधिकारी मुकाम बॉदीकुई द्वारा जारी नकल से प्रमाणित है। आवंटन के समय से ही वादीगण व उनके बुजुर्गान के कब्जा की रही है तथा वादीगण उक्त खसरा नंबर 32 रकबा 0.53 हैक्ट. सम्पूर्ण पर काबिज रहा है। लेकिन सैटलमेन्ट विभाग ने सैटलमेन्ट समाप्त करते समय खसरा नंबर 32 में से 23 ऐयर भूमि सिवायचक दर्ज कर दी व नक्शे से उसकी अलग से तरमीम कर नया खसरा नंबर 32/657 रकबा 0.23 हैक्ट. अलग से कायम कर दिया जिसकी वादीगण को जानकारी नहीं रही है। चूंकी आवंटन के समय वादीगण के बुजुर्ग को जो भूमि पटवारी हल्का द्वारा सम्भलाई गयी थी वादीगण उसी समय से उक्त भूमि पर काबिज होकर उक्त भूमि को काफी लागत व मेहनत से कृषि योग्य बनाकर काबिज होकर रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

सैटलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा नंबर 32 में से 32/657 नम्बर बनाया है जिसका वादीगण अपने बुजुर्ग के समय से ही काबिज है जो कि वादी की जानकारी में भी नहीं रहा है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज हो चुकी है। पटवारी हल्का टाटया थैलावास द्वारा वादीगण के काबिज होने व काश्त करने के बाद भी उक्त खसरा नम्बर 32/657 पर धारा 91 आर.एल.एक्ट का नोटिस नहीं दिया। खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2068 से पूर्व इन्द्राज नहीं किया। सम्वत 2068 से 2074 तक खसरा परिवर्तनशील में वादीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर 32/657 रकबा 0.23 हैक्ट. ग्राम टॉटया थैलावास पर काश्त करना दर्ज कर रखा है जबकि वादीगण उक्त खसरा नंबर पर आवंटन के समय से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

वादीगण का उक्त खसरा नंबर पर करीब 57 वर्षों से कब्जा बरकरार चला आ रहा है। पटवारी हल्का ने वादीगण को धमकी दी है कि खसरा नंबर 32/657 रकबा 0.23 हैक्ट. ग्राम टॉटया थैलावास पर आपका काफी समय से अवैध रूप से कब्जा चला आ रहा है। अब इसे खाली करो। आप इस भूमि का विधिवत नियमन करवाओ अन्यथा उक्त भूमि पर आगे काश्त नहीं करने दूँगा व बेदखल करवाऊँगा। दिनांक 20.03. 2021 को प्रतिवादी वादीगण की भूमि पर से वादीगण को जबरन बेदखल करने लग गया तो वादीगण ने कहा कि उक्त भूमि पर हमारा एडवर्स पजेशन है और तुम हमें बेदखल नहीं कर सकते हो तो प्रतिवादी ने वादीगण को उक्त भूमि पर से जबरन बेदखल करने की व काश्त नहीं करने देने की एलानिया धमकी दी।

अतः निवेदन है कि भूमि मुतदाविया साबिक खसरा नंबर 10/1 बाद सैटलमैन्ट के खसरा नंबर 30, 31, 32, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 65, 66, 75 एवं 32/657 रकबा 0.23 ऐयर वाके रामा टॉटया थैलावास जो वादी गौरीशंकर शर्मा के पिता हरीवल्लभ शर्मा के नाम आवंटित हुयी थी तभी से वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं और उपरोक्त एडवर्स पजेशन के आधार पर ही वादी को उक्त भूमि मुतदाविया का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण को भूमि मुतदाविया से जबरन बेदखल कर वादीगण के उपयोग उपभोग करने में किसी भी प्रकार की मजाहमत ना करे।

वादीगण वाद दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रकरण के संबंध में प्रतिवादी तहसीलदार बसवा ने अपने पत्र कमांक: पैरो.सरकार/2022/142 दिनांक:08.08.2022 द्वारा जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत की। साक्ष्यवादी शपथ पत्र गौरीशंकर पुत्र स्व. श्री हरीवल्लभ शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गुढाकटला एवं दयाराम पुत्र हरीनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गुढाकटला के पेश किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी शपथ पत्र पेश नहीं होने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर प्रकरण में वादीगण वकील बहस सुनी गई। वादीगण वकील ने बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया। पत्रावली पर दस्तावेजात प्रदर्श डाले गये। हमने बहस वादीगण वकील पर मनन किया। वादपत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात अलॉटमैन्ट पट्टा गैर खातेदारी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-1, नामान्तकरण सं. 37 ग्राम टॉटया थैलावास सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-2, राजस्व जमाबंदी संवत 2018 ग्राम टॉटिया खाता सं. नया 60 सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-3, खसरा परिवर्तनशील संवत 2067-78 ग्राम टॉटया थैलावास सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-4 तथा तहसीलदार बसवा रिपोर्ट दिनांक:08.08.2022 का अवलोकन किया।

प्रस्तुत दस्तावेज सत्यप्रतिलिपि अलॉटमैन्ट पट्टा गैर खातेदारी के भूमि खसरा नंबर 10/1 रकबा 6 बीघा ग्राम टॉटया भॉवरा श्री हरिवल्लभ पुत्र कन्हैयालाल ब्रा. सा. गुढाकटला के आवंटित होना अंकित है जिसका नामांतकरण सं. 37 ग्राम टॉटिया तह. बसवा हरिवल्लभ पुत्र कन्हैयालाल कौम ब्रा. सा. गुढाकटला गैर खातेदार के रूप में स्वीकृत होकर दर्ज है। तथा राजस्व जमाबंदी संवत 2018 ग्राम टॉटिया खाता सं. 60 खसरा नं. 10/1 रकबा 6 बीघा हरिवल्लभ पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण के गैर खातेदार के रूप में इन्द्राज है। मुताबिक संलग्न छायाप्रति मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबन्धक विभाग संवत 2052-71 ग्राम टॉटिया तह. बसवा के राजस्व जमाबन्दी संवत 2072-75 ग्राम टॉटया थैलावास में अंकित खसरा नं. 32 रकबा 0.30 हैक्ट. व खसरा नं. 32/657 रकबा 0.23 हैक्ट. साबिक खसरा नं. 10/1 से बने है। जिसके बाबत वादीगण द्वारा वाद पत्र में भी वर्णित किया गया है कि आवंटित शुदा भूमि साबिका खसरा नं. 10/1 ग्राम टॉटया थैलावास के सैटलमैन्ट के बाद खसरा नं. 30, 31, 32, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 65, 66, 75 एवं 32/657 कायम हुये हैं।

अतः उपरोक्त अवलोकन के आधार पर यह तथ्य प्रकट है कि भूमि खसरा न. 10/1 रकबा 6 बीघा ग्राम टांटया भांवरा श्री हरिवल्लभ पुत्र कन्हैयालाल ब्रा. सा. गुढाकटला के आवंटित हुई थी जिसका नामांतकरण हरिवल्लभ पुत्र कन्हैयालाल कौम ब्रा. सा. गुढाकटला गैर खातेदार के रूप में नामांतकरण सं. 37 ग्राम टॉटिया तह. बसवा पर स्वीकृत होकर दर्ज हुआ है। तथा राजस्व जमाबंदी संवत 2018 ग्राम टॉटिया खाता सं. 60 में खसरा नं. 10/1 रकबा 6 बीघा हरिवल्लभ पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण के गैर खातेदार के रूप में इन्द्राज है। तथा आवंटनशुदा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त रहा है। आवंटनशुदा साबिका खसरा नं. 10/1 रकबा 6 बीघा ग्राम टॉटया थैलावास के सैटलमैन्ट के बाद खसरा नं. 30, 31, 32, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 65, 66, 75 एवं 32/657 कायम हुए हैं। भू प्रबन्धक विभाग की कार्यवाही के दौरान खसरा नं. 32 में से 23 एयर भूमि सिवायचक दर्ज कर नक्शे में उसकी अलग से तरमीम कर नया खसरा नंबर 32/657 रकबा 0.23 हैक्ट. कायम कर दिया गया। जिससे राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खसरा नंबर 32/657 रकबा 0.23 हैक्ट सिवायचक के रूप में इन्द्राज कर दिया गया तथा खसरा नं. 32 रकबा 0.30 हैक्ट. वादी सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। परन्तु यदि मुताबिक संलग्न छायाप्रति मिलान क्षेत्रफल खसरा नं. 32 रकबा 0.30 हैक्ट. एवं खसरा नं. 32/657 रकबा 0.23 हैक्ट. साबिका खसरा नं. 10/1 रकबा 6 बीघा से बने हैं तो यह स्पष्ट है कि ख. नं. 32 एवं ख. नं. 32/657 दोनों वादीगण की आवंटनशुदा भूमि से ही बने हैं। तथा सैटलमैन्ट विभाग ने सैटलमैन्ट समाप्त

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

करते समय खसरा नं. 32/657 रकबा 0.23 की गलत तरमीम कर सिवायचक के रूप में दर्ज कर दी। प्रस्तुत दस्तावेजात खसरा परिवर्तनशील संवत 2067–78 ग्राम टॉटिया थैलावास सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श–4 में संवत 2067–78 तक खसरा नं. 32/657 रकबा 0.23 हैक्ट. किस्म सिवायचक वादी गौरीशंकर पुत्र हरिवल्लभ कौम ब्राह्मण के नाम लगातार दर्ज रही है जिससे जाहिर होता है कि खसरा नं. 32/657 रकबा 0.23 हैक्ट. पर वादी का कब्जाकाश्त रहा है। तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 08.08. 2022 में भी उक्त खसरा नंबर पर वादी का कब्जाकाश्त होना अंकित है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजात अलॉटमैन्ट पट्टा गैर खातेदारी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श–1, नामान्तकरण सं. 37 ग्राम टॉटया थैलावास सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श–2, राजस्व जमाबंदी संवत 2018 ग्राम टॉटिया खाता सं. नया 60 सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श–3 एवं खसरा परिवर्तनशील संवत 2067–78 ग्राम टॉटिया थैलावास सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श–4 के आधार पर यह तथ्य प्रकट होता है कि भूमि खसरा न. 10/1 रकबा 6 बीघा ग्राम. टांटया भांवरा श्री हरिवल्लभ पुत्र कन्हैयालाल ब्रा. सा. गुढाकटला के आवंटित हुई थी जिसका नामांतकरण हरिवल्लभ पुत्र कन्हैयालाल कौम ब्रा. सा. गुढाकटला गैर खातेदार के रूप में नामांतकरण सं. 37 ग्राम टॉटिया तह. बसवा पर स्वीकृत होकर दर्ज हुआ है। तथा राजस्व जमाबंदी संवत 2018 ग्राम टॉटिया खाता सं. 60 में खसरा नं. 10/1 रकबा 6 बीघा हरिवल्लभ पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण के गैर खातेदार के रूप में दर्ज हुई है। तथा आवंटनशुदा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त रहा है। उक्त आवंटनशुदा साबिका खसरा नं. 10/1 रकबा 6 बीघा से ही नये खसरा नं. 32 रकबा 0.30 हैक्ट. एवं खसरा नं. 32/657 रकबा 0.23 हैक्ट. बने हैं। जिससे प्रकट है कि खसरा नं. 32/657 रकबा 0.23 हैक्ट. वादीगण की आवंटनशुदा भूमि है। परन्तु सैटलमैन्ट विभाग ने सैटलमैन्ट समाप्त करते समय खसरा नं. 32/657 रकबा 0.23 की गलत तरमीम कर सिवायचक के रूप में दर्ज कर दी तथा खसरा नंबर 32/657 रकबा 0.23 हैक्ट राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया जो कि विधि संगत नहीं है। उपरोक्त विवेचन से वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः बहस वादीगण वकील पर मनन करने एवं प्रस्तुत दस्तावेजातों के आधार पर वादीगण वाद दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण को भूमि मुतदाविया साबिक खसरा नंबर 10/1 के बाद सैटलमैन्ट के खसरा नंबर 32/657 रकबा 0.23 हैक्ट वाके ग्राम टॉटया थैलावास का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण को भूमि मुतदाविया से जबरन बेदखल कर वादीगण के उपयोग उपभोग करने में किसी भी प्रकार की मजाहमत ना करे। डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)
(... मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई